झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
अष्टम् (बजट)सत्र
वर्ग–03

निम्नांकित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांकः– 11,फाल्गुन,1943 (श0) / 02 मार्च, 2022 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
* 13.	अ0सू0–02	श्री बिरंची नारायण,	नक्शा पास करने का अधिकार।	ग्रामीण विकास	17-02-22
14.	अ0सू0–12	श्री मनीष जायसवाल,	डोभा निर्माण योजना।	ग्रामीण विकास	24-02-22
15.	अ0सू0–07	श्री प्रदीप यादव,	दुकानों का नियमितिकरण।	नगर विकास एवं आवास	24-02-22
16.	अ0सू0–15	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	समय का विस्तार।	नगर विकास एवं आवास	24-02-22
17.	अ0सू0–09	डॉ0लम्बोदर महतो,	आवास योजना का लाभ।	ग्रामीण विकास	24-02-22
18.	अ0सू0–06	श्री प्रदीप यादव,	ऑडिट यूनिट का गठन।	ग्रामीण विकास	24-02-22
19.	अ0सू0–01	श्री बिरंची नारायण,	टैक्स माफ करना।	नगर विकास एवं आवास	17-02-22
# 20.	अ0सू0–14	श्री भानु प्रताप शाही,	ऑनलाईन चालान।	परिवहन	24-02-22
21.	अ0सू0–10	श्री मनीष जायसवाल,	योजना पूर्ण करना।	ग्रामीण विकास	24-02-22
22.	अ0सू0–22	श्री कुलू महतो,	राशि खर्च करना।	पथ निर्माण	24-02-22

* पंचायती राज विभाग के पत्रांक 310, दिनांक 21.02.22 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित,
# परिवहन विभाग के पत्रांक 182, दिनांक 28.02.22 द्वारा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित।

कृ0पृ0उ0.........2/-

01	02	03	04	05	06
23.	अ०सू०-08	श्री सुदिव्य कुमार,	पार्षदों का वेतन निर्धारण।	नगर विकास एवं आवास	24-02-22
24.	अ०सू०-05	श्री बंधु तिर्की,	बेरोजगारी भत्ता देना।	ग्रामीण विकास	24-02-22

रॉची,
दिनांक-02मार्च,2022ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)-04/2020-...706.../वि०स०,रॉची,दिनांकः-27/02/22
प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/22
(संजीत कुमार)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)-04/2020-...706.../वि०स०,रॉची,दिनांकः-27/02/22
प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/22
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)-04/2020-...706.../वि०स०,रॉची,दिनांकः-27/02/22
प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/वेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/22
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

गोपी//

25.02.22

(13)

माननीय स०वि०स० श्री बिरंची नारायण द्वारा दिनांक 02.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–02 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में जिला परिषद को भवन निर्माण हेतु 5000 स्क्वायर फिट से अधिक क्षेत्रफल का नक्शा पास करने का अधिकार प्राप्त है और इसके पास नक्शा पास करने हेतु इंजीनियरिंग विंग इत्यादि उपलब्ध है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि नगर पालिकाओं, क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों एवं माडा को भी भवन निर्माण हेतु नक्शा पास करने का अधिकार दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला परिषद को भवन निर्माण हेतु 5000 स्क्वायर फिट से कम क्षेत्रफल का भी नक्शा पास करने का अधिकार देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में जिला परिषदों को ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु 5000 स्क्वायर फिट से कम क्षेत्रफल का नक्शा पास करने का अधिकार देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ०एफ०पी० भवन, धुर्वा, राँची– 834004
(panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com)

ज्ञापांक:– 01 स्था (वि०स०)–05/2022 —— 373 ——/, राँची, दिनांक:–25.02.2022

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 69 दिनांक 17.02.2022 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 01 स्था (वि०स०)–05/2022—— 373 ——/, राँची, दिनांक:–25.02.2022

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

25/2/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 01 स्था (वि०स०)–05/2022—— 373 ——/, राँची, दिनांक:–25.02.2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/2/22

सरकार के उप सचिव।

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

(14)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 02.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – 12 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष – 2020–21 व 2021–22 में राज्य में कुल – 63,415 डोभा निर्माण योजना स्वीकृत की गई थी जिसमें पूरे राज्य में अब तक मात्र 17,905 डोभा का निर्माण हुआ है जो पूरे 02 (दो) वर्षों में 28 % माना जायेगा।	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में मनरेगा अन्तर्गत राज्य में कुल 58 हजार 720 डोभा निर्माण की योजना ली गई है जिसमें से अबतक कुल 20 हजार 04 डोभों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो 34.07 % है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड – 01 में वर्णित योजना में अबतक सिर्फ हजारीबाग में कुल – 4116 में मात्र 1063 योजना पूर्ण हुई है जो उपलब्धि के दृष्टिकोण से मात्र 26% है जबकि राज्य में उक्त योजना का सबसे खराब प्रदर्शन दुमका एवं साहेबगंज की है जहाँ अब तक मात्र 17% एवं 21% उपलब्धि हुई है,	आंशिक स्वीकारात्मक। हजारीबाग में कुल 4647 डोभा निर्माण की योजना ली गई है, जिसमें 1794 योजना को पूर्ण कर लिया गया है, जो कुल ली गई योजनाओं का 38.6% है तथा शेष योजना निर्माणाधीन है। इसी तरह जिला दुमका एवं साहेबगंज में क्रमशः 3224 के विरूद्ध 764 (23.7%) तथा 843 के विरूद्ध 166 (19.7%) डोभा निर्माण की योजना को पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष योजना निर्माणाधीन है।
3. क्या यह बात सही है राज्य में खण्ड – 01 में वर्णित योजना के पूर्ण नहीं होने के कारण किसानों को उक्त योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है;	मनरेगा के तहत ली गई योजनाओं के क्रियान्वयन की लगातार समीक्षा की जाती है एवं योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार राज्य के किसानों के हित में खण्ड – 01 में वर्णित योजना को कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरांकित कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–221/वि0 स0/2022/ग्रा0 वि0 – (N) 249 राँची, दिनांक 28.2.22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 357 दिनांक 24.02.2022 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/2/22
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

K.T.O

ज्ञापांक – 13(B)–221/वि0 स0/2022/ग्रा0 वि0 – (N) 249 राँची, दिनांक 28·2·22

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/2/22

सरकार के उप सचिव।

(15)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 02.03.2022 को पूछे जाने वाले अलासूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–07 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राजधानी राँची में 2000 से भी अधिक मकान मालिकों को राँची नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के बाद उनके मकानों एवं दुकानों के टूटने का भय सता रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। Jharkhand Building Byelaws-2016 के आलोक में राँची नगर निगम द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस उपरांत स्वीकृत नक्शा नहीं पाये जाने वाले मामलों पर नगर आयुक्त के न्यायालय में U.C (अवैध निर्माण) वाद में न्याय निर्णय के अनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
2	क्या यह बात सही है कि इन मकानों एवं दुकानों के टूटने से आमजनों के अरबों की संपत्ति का नुकसान होने की संभावना है;	आंशिक स्वीकारात्मक। यथा कंडिका–1 में अंकित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसे टूटने से बचाने के लिए अवैध मकानों एवं दुकानों का नियमितिकरण के अन्य विकल्प पर विचार करना चाहती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–4014 दिनांक–27.09.19 द्वारा अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने हेतु छः माह के लिए एक योजना वर्ष 2019 में चलाई गयी थी। पुनः वर्त्तमान में अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों एवं दुकानों का नियमितिकरण हेतु नयी योजना का प्रस्ताव सम्प्रति उच्च स्तर पर विचाराधीन है।

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–08 / अ०सू०प्र०–04 / 2022 / न०वि०आ० 729 राँची, दिनांक– 28/02/22

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं० प्र०–369 वि०स०, दि०–24.02.2022 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के अवर सचिव।

(76)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि महागामा नगर पंचायत सहित राज्य के सभी नगर पंचायतों के लिए वर्ष–2021–22 में व्यवसायिक वाहनों के प्रवेश शुल्क वसूली हेतु निविदा प्रकाशित कर डाक के आधार पर कार्य आवंटन किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। महागामा नगर पंचायत, महागामा द्वारा व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश शुल्क वसूली हेतु निविदा प्रकाशित करते हुए कार्य आवंटन किया गया है। कतिपय निकायों यथा–चाईबासा, धनबाद, मिहिजाम, चाकुलिया, बहकी सरैया, गढ़वा द्वारा प्रवेश शुल्क नहीं वसूले जाने की सूचना दी गई है। अन्य निकायों से सूचना अप्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि वैश्विक महामारी कोरोना में सरकार द्वारा लगाये गये लॉक डाउन के कारण गाड़ी का परिचालन नहीं होने से निविदादारों द्वारा राशि की वसूली नहीं कर पाने के कारण उक्त अवधि की राशि माफ करने या समयावधि बढ़ाने का माँग कर रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कतिपय निकाय यथा–महागामा, बासुकीनाथ, पाकुड़, डोमचाँच एवं घास में कोविड–19 के कारण शुल्क की राशि माफ करने हेतु आवेदन निकाय को प्राप्त हुआ है। अन्य निकायों से सूचना अप्राप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निविदा में अंकित किये गये समय को छः माह विस्तार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के सभी निकायों में व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर शुल्क की वसूली हेतु निविदा निकाले जाने इत्यादि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्रांक–686 दिनांक–25.02.2022 द्वारा की गई है। सभी निकायों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत शहरी स्थानीय निकायों के आन्तरिक राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए निविदा में अंकित किये गये समय के विस्तार के मामले पर सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–08 / अ०सू०प्र०–02 / 2022 न०वि०आ० 728 राँची, दिनांक– 23/02/22

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–368 दिनांक–24.02.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/22

सरकार के अवर सचिव।

(17)

डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–09 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम :– डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम :– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में सामाजिक आर्थिक गणना 2011 के अनुसार बनायी गयी प्रधानमंत्री आवास की प्राथमिकता सूची तथा 2016 में बनायी गयी आवास प्लस की प्राथमिकता सूची में नाम रहने के बावजूद पूरे राज्य में 50 हजार से ज्यादा योग्य लाभुकों का नाम पदाधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के द्वारा गलत प्रतिवेदन दिये जाने के कारण उनका नाम स्थायी रूप से हटा दिया गया है ;	➢ प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आँकड़ों के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार की गयी है। ➢ प्राथमिकता सूची में वरीयता के आधार पर योग्य लाभुकों का आवास स्वीकृत किया गया है। ➢ आवास स्वीकृति के क्रम में लाभुक अयोग्य पाये जाने पर Remand Module के द्वारा अयोग्य लाभुकों को सूची से निम्न प्रक्रिया के तहत हटाया गया है :– I. अयोग्य लाभुकों की सूची को सर्वप्रथम ग्राम सभा से अनुमोदित किया जाता है। II. प्रखण्ड द्वारा उक्त अनुमोदित सूची को अनुमोदन हेतु जिला को भेजा जाता है। III. जिला के अनुमोदन के पश्चात अयोग्य लाभुकों का नाम सूची से हटाया जाता है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, क्या सरकार जाँचोपरान्त प्रधानमंत्री आवास एवं आवास प्लस योजना में हुई उक्त गड़बड़ी की तथा गलत प्रतिवेदन दिये जाने के कारण हटाये गये योग्य लाभुकों को पुनः प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	➢ यदि माननीय स०वि०स० के संज्ञान में जिला/प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के गलत निर्णय के कारण किसी योग्य लाभुक का नाम स्थायी सूची से हटाये जाने की सूचना प्राप्त है एवं उनके द्वारा विभाग को सूचना उपलब्ध कराया जाता है तो उसकी जाँच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ➢ आगामी वित्तीय वर्ष में सभी प्रखण्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना है। सामाजिक अंकेक्षण के प्रतिवेदन के आलोक में यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो संबंधित दोषी पदाधिकारी/जन प्रतिनधि के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

28.02.2022

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–10/2022– 713 राँची, दिनांक :– 28/02/2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.2022

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–10/2022– 713 राँची, दिनांक :– 28/02/2022

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

25.02.2022

सरकार के अवर सचिव।

(18)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 02.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 06 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता – श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि मनरेगा के संचालित योजनाओं के सोशल ऑडिट हेतु सभी राज्यों को सोशल ऑडिट युनिट का गठन कर उसे अलग सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराकर, इसी यूनिट के माध्यम से पंचायतों का ऑडिट कराना है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अन्य 22 राज्यों ने मनरेगा के क्रियान्वित योजनाओं के ऑडिट हेतु उपरोक्त निर्देशों का पालन किया है ;	झारखण्ड राज्य से संबंधित नहीं है।
3. क्या यह बात सही है कि विभागीय मंत्री के निर्देशों के बावजूद भी झारखण्ड में अब तक अलग सोशल ऑडिट युनिट का गठन नहीं हो पाया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सोशल ऑडिट यूनिट को स्वतंत्र इकाई के रूप मे निबंधित करने के निमित्त विभाग स्तर पर कमिटि का गठन कर नये सिरे से झारखण्ड सोशल ऑडिट सोसाईटी (JSAS) का Rules & Regulation (By- Laws) तैयार कराया गया है। कमिटि द्वारा तैयार By- Laws के आधार पर सोशल ऑडिट यूनिट को स्वतंत्र इकाई के रूप में Registration Act- 1860 के अन्तर्गत JSAS के रूप में निबंधित करने की कार्रवाई की जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अलग सोशल ऑडिट युनिट का गठन करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका – 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–219/वि0 स0/2022/ग्रा0 वि0 – (N) 244   राँची, दिनांक 28.2.22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 363 दिनांक 24.02.2022 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.02.22
(प्रमोद कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–219/वि० स०/2022/ग्रा० वि० – (N) 244 राँची, दिनांक 23.2.22

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 02.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर।

प्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला समेत झारखण्ड के 24 जिलों में अवस्थित नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पंचायतों के द्वारा उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत रहने वाले लोगों से उनके फ्लैट, मकान, दुकान और खाली भूमि का करोड़ों रूपये होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 152 (कर उगाही की शक्ति) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 में अंकित प्रावधानों के अनुसार राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित धृतियों से सम्पत्ति कर का संग्रहण किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत दो वर्षों से झारखण्ड सहित समस्त विश्व कोविड–19 महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है और इस महामारी के रोकथाम हेतु समय–समय पर लगाये जा रहे लॉकडाउन के कारण उनके रोजगार धंधे काफी प्रभावित हुए हैं जिसके कारण कई लोग होल्डिंग टैक्स जमा करने में असमर्थ पाये गये है;	उक्त के संबंध में उल्लेख करना है कि राज्य के नगर निकायों के धृतिस्वामियों द्वारा कोविड–19 महामारी से पूर्व के वित्तीय वर्ष 2018–19 में 111.87 करोड़ रूपये होल्डिंग टैक्स के रूप में जमा किये गये। कोविड–19 महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2019–20 में 117.20 करोड़ रूपये एवं 2020–21 में 124.90 करोड़ रूपये होल्डिंग टैक्स के रूप में जमा किया गया।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में विगत 2 वर्षों का होल्डिंग टैक्स माफ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि कोरोना वायरस (COVID-19) को देखते हुए झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम–12 के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 के सम्पत्ति कर (धृति कर) का भुगतान दिनांक 31.05.2020 तक करने पर ब्याज की राशि के भुगतान से छूट दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अधिसूचना सं०–641 दिनांक–17.02.2014 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 की कंडिका 11.3 के माध्यम से मलिन बस्तियों में अवस्थित देसी सनी झोपड़ियाँ या कच्ची आवासीय ईकाईयाँ, जिनका कुल प्लीन्थ क्षेत्र 250 वर्गफीट से या उससे कम, धृति कर से मुक्त रखा गया है। उक्त के अतिरिक्त विगत 2 वर्षों का होल्डिंग टैक्स माफ किए जाने से संबंधित मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–08 / अ०सू०प्र०–01 / 2022 न०वि०आ०.....699 राँची, दिनांक 25/02/22

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–88 वि०स० दिनांक 17.02.2022 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/2/22

सरकार के अवर सचिव।

(20)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

दिनांक–02.03.2022 को श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न अ०सू०–14 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्ता श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के पलामू जिले में बीड़ी पत्ता आदिम जनजाति, गरीब महिलाओं का रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है जो बीड़ी पत्ता के रोजगार का संचालन बिहार केन्दु पत्ता नियम (CONTROL OF TRADE ACT 1973) के तहत किया जाता है;	–	स्वीकारात्मक। बिहार केन्दु पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973 के तहत केन्दु पत्ती का संग्रहण तथा व्यापार झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है एवं इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि परिवहन विभाग के चालान के माध्यम पलामू जिले से होकर देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जाता है जहाँ इसका उपयोग किया जाता है;	–	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड राज्य सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए बिहार केन्दु पत्ती (व्यापार नियंत्रण) नियमावली, 1972 के नियम–4 के तहत परिवहन अनुज्ञा–पत्र के द्वारा केन्दु पत्ती को राज्य के अंदर एवं बाहर ले जाने परिवहन का नियंत्रण करती है।
3	क्या यह बात सही है कि जिला परिवहन पदाधिकारी गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला के द्वारा उसे जप्ती के नाम पर मनमाने तरीके से 20 से 25 हजार रूपये तक की राशि वसूल की जाती है और यह पूरी तरीके से अवैध वसूली होती है, जिसका न तो ऑनलाईन रसीद दिया जाता है और ना ही गाड़ी सीजर एवं फाईन का चालान निर्गत किया जाता है, जबकि वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में महज 500/– रूपये से 2000/– रूपये तक फाईन किया जाता है, ऐसे अवैध वसूली से बीड़ी पत्ता के व्यापार एवं उठाव करनेवाले व्यापारी झारखण्ड नहीं आना चाहते हैं,	–	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार सभी जिलों में मोटर वाहन अधिनियम के प्रभावकारी प्रवर्तन हेतु कृत संकल्पित है। तदालोक में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 194 (1A) के अंतर्गत Driving Vehicle Exceeding Permissible Size वाहनों से अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दण्ड राशि चालान निर्गत कर या Online चालान निर्गत कर प्राप्त की जाती है। दण्ड शुल्क का भुगतान नही करने पर वाहनों का सीजर भी होता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के तर्ज पर झारखण्ड में भी रियायत दर पर सीजर एवं फाईन की राशि का चालान ऑन लाईन निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		झारखण्ड राज्य में E-Pos मशीन से Online चालान निर्गत करने तथा मौके पर ही Online/Card से दण्ड राशि भुगतान करने का प्रावधान लागू किया जा चुका है।

<u>नोट</u>– प्रश्न कंडिका 1 एवं 2 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड से संबंधित है। तदालोक में उक्त विभागीय पत्रांक–574, दिनांक–01.03.2022 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उत्तर सामग्री के आलोक में अपेक्षित उत्तर (प्रश्न कंडिका 1 एवं 2) तैयार की गयी है।

01/03/22

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–35/2022 –190 /राँची, दिनांक–01.03.2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–366, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/22

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–35/2022 –190 /राँची, दिनांक–01.03.2022

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/22

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

(21)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–10 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम :– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले 05 वित्तीय वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कुल– 1,37,910 आवासों का निर्माण कार्य अबतक लम्बित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–21 (5 वर्ष) में स्वीकृत 11 लाख 98 हजार 527 इकाई आवास के विरूद्ध अब तक 10 लाख 33 हजार 169 इकाई आवास पूर्ण कर लिया गया है, जो कुल स्वीकृत आवास का 86 प्रतिशत है। शेष 1 लाख 65 हजार 358 इकाई आवास लम्बित है।
2.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में उक्त योजनान्तर्गत कुल– 13,096 आवासों की तुलना में अबतक मात्र 131 उक्त आवास स्वीकृत हुई है ;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निर्धारित लक्ष्य 16,013 के विरूद्ध 14,971 आवासों की स्वीकृति दी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित आवासों के काफी धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य पर केन्द्र सरकार द्वारा भी कई बार दिशा–निर्देश जारी करने के बावजूद उक्त योजना अबतक लम्बित है जिसके कारण लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	• दिनांक–19.02.2022 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के Empowered Committee की बैठक में लंबित आवासों को पूर्ण करने की कार्य योजना रखा गया, जिसके अनुसार अक्टूबर, 2022 तक अपूर्ण आवासों को पूर्ण किया जाना है। • आवासों के लंबित रहने के कारणों की समीक्षा की गई। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार किया गया है। • प्रत्येक आवास को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करने हेतु पंचायत स्वयंसेवकों/पंचायत रोजगार सेवकों/स्वयं सहायता समूहों को आवास के साथ सम्बद्ध किया गया है। • इसकी निरन्तर समीक्षा मुख्य सचिव एवं विभाग के स्तर पर तथा जिलों में उपायुक्त/ उप विकास आयुक्त के स्तर पर की जा रही है। • राजमिस्त्री प्रशिक्षण के माध्यम से भी अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने में इनका सहयोग लिया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित वर्षों से लम्बित उक्त योजना को पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	

28.02.2022

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–09/2022– 712 राँची, दिनांक :–28/02/2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.2022

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–09/2022– 712 राँची, दिनांक :– 28/02/2022

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.2022

सरकार के अवर सचिव।

(22)

श्री ढुलू महतो, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि सड़कों के विकास व उम्दा रख–रखाव के लिए राज्य सरकार प्रति लीटर एक रूपये सेस (अभिभार) की वसूली कराती है और अभी तक लगभग 1100 करोड़ रूपये की वसूली की गई ;	राज्य सरकार द्वारा राज्य में पथ क्षेत्र के परियोजनाओं में निवेश के लिए निधि स्थापित करने और इस प्रयोजन के लिए अनुदान, ऋण एवं किसी अन्य श्रोत से जमा राशि का उपयोग करने और पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजल तेल के विक्रय पर उपकर के रूप में कर के उद्ग्रहण और संग्रहण हेतु झारखण्ड राज्य पथ विकास निधि अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 09, 2011) की स्थापना एवं Jharkhand State Road Development Fund Rule, 2012 का गठन किया गया है। इसके प्रावधानों के अनुसार पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजल तेल के विक्रय पर सेस (Cess) की वसूली वाणिज्य–कर विभाग द्वारा की जा रही है। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2021–22 (माह जनवरी तक) कुल रू0 1641.72 करोड़ की प्राप्ति हुई है। वर्त्तमान में वाणिज्य कर विभाग द्वारा इस प्राप्त राशि को वैट (VAT) मुख्य शीर्ष–0040 के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा पथ आधारभूत संरचना के विकास एवं रख–रखाव हेतु वार्षिक बजट उपबंध कर राशि उपलब्ध करायी जाती है। अतः राजस्व की प्राप्ति कर बजटीय उपबंध के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पथ आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड स्टेट रोड डेवलपमेंट रूल, 2012 के तहत सेस को सरकारी खजाने में जमा करने, सड़क योजना के लिए आवंटित करने एवं खर्च करने से संबंधित प्रमाण जारी हेतु तीन फार्म निर्गत किये गये है परन्तु आज तक इसका उपयोग नहीं किया गया है ;	
3. क्या यह बात सही है कि अब तक इस सेस की राशि को भी वाणिज्य–कर विभाग द्वारा राजस्व को जमा करने के लिए मुख्य शीर्ष – (0045) के उपशीर्ष – (00112) में जमा करना है ;	
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सड़क के लिए सेस के रूप में वसूल की गई राशि को सड़क के लिए खर्च करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:–प0नि0वि0–11–अ0सू0–01/2022, 783(5) राँची/दिनांक– 28/02/22

प्रतिलिपि–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–399 दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:–प0नि0वि0–11– अ0सू0–01/2022, 783(5) राँची/दिनांक– 28/02/22

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/राज्य कर आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2022
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(23)

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–02.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–08 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सभी नगर निगम में वार्ड पार्षद को पूर्व में वेतनमान निर्धारित था लेकिन वर्तमान समय में उन्हें वेतनमान नहीं मिल रहा है;	अस्वीकारात्मक विभागीय संकल्प संख्या–2647 दिनांक–23.10.2019 के द्वारा राज्य के विभिन्न नगर निगमों के महापौर/उप महापौर तथा विभिन्न नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों एवं पार्षदों को प्रतिमाह मानदेय निर्धारित है। निर्वाचित पार्षदों को उक्त संकल्प के प्रावधानानुसार नियत मानदेय का भुगतान किया जाता है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वार्ड पार्षदों को वेतनमान निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–08/अ०सू०प्र०–03/2022 न०वि०आ० 727 राँची, दिनांक– 28/02/22

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं० प्र० प्र०–367 वि०स० दिनांक–24.02.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/22
सरकार के अवर सचिव।

(24)

श्री बन्धु तिर्की, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 02.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – 05 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री बन्धु तिर्की, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में अब तक सिर्फ 2.4 % लोगों को ही मनरेगा में 100 दिनों का काम मिला है, इसके तहत 45.80 लाख मजदूर निबंधित है, इनमें से 22.80 लाख मजदूरों ने काम की मांग की है, इनमें से अब तक सिर्फ 54041 मजदूरों को ही 100 दिन का काम मिला है;	अस्वीकारात्मक। मनरेगा अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक मनरेगा अन्तर्गत कुल 71302 (3%) इच्छुक परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक मनरेगा अन्तर्गत कुल 60 लाख 97 हजार 513 परिवारों का निबंधन कर जॉब कार्ड निर्गत किया गया है तथा शतप्रतिशत इच्छुक परिवारों को मनरेगा अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया है जिसके आलोक में 24 लाख 07 हजार परिवारों के 29 लाख 70 हजार वयस्क सदस्यों द्वारा कार्य किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि 100 दिन का काम नहीं मिल पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है;	अस्वीकारात्मक। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के धारा – 32 की उपधारा (1) एवं धारा – 7 की उपधारा (6) के अनुसार मनरेगा अन्तर्गत श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर रोजगार प्राप्त न होने पर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का प्रावधान है।
3. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ (7.1%), खूँटी (5.1%) राज्य के 08 जिले साहेबगंज, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह और पलामू (0.9-1.9%) नौ जिलों में (2.5-2.9%) तथा पाँच जिलों में (3.5-4.5%) ही मजदूरों को 100 दिनों का काम मिल सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। (जिलावार विवरणी संलग्न)।

4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मजदूरों को 100 दिन का रोजगार गारंटी देने या बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरांकित कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–224/वि0 स0/2022/ग्रा0 वि0 – (N) 247 (अ0उ0)   राँची, दिनांक 28-2-22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 356 दिनांक 24.02.2022 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 28/2/22

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–224/वि0 स0/2022/ग्रा0 वि0 – (N) 247   राँची, दिनांक 28-2-22

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 28/2/22

सरकार के उप सचिव।

Status Of HHs

S.No	Districts	No. of Registered		Cumulative No. of HH issued jobcards	Employment Demanded		Employment Offered		Employment Provided			No. of Families Completed 100 days	% families Completed 100 days
		Household	Persons		Household	Persons	Household	Persons	Household	Persons	Total Persondays		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/10
1	BOKARO	321790	493732	274947	110269	142706	110196	142588	97219	120066	3909505	2731	2.8%
2	CHATRA	296885	394993	251207	117605	143225	117589	143199	106101	125891	4580096	2960	2.8%
3	DEOGHAR	336309	535709*	291590	156601	194605	156557	194327	136894	163787	6069352	2081	1.5%
4	DHANBAD	293194	388135	265209	87548	109232	87387	108994	70779	85839	2622961	892	1.3%
5	DUMKA	345290	548164	308145	141318	171510	141198	171350	119781	138802	5498934	5944	5.0%
6	EAST SINGHBHUM	277039	384318	258472	99802	150005	99763	149919	84619	112731	3212970	2577	3.0%
7	GARHWA	402456	688422	346492	220168	312790	220291	312828	197636	271037	9610960	4323	2.2%
8	GIRIDIH	553875	781758	480462	258346	303208	258197	302865	226736	298232	9847767	2532	1.1%
9	GODDA	310417	539922	269636	102030	124768	101991	124751	93080	110518	4151419	3162	3.4%
10	GUMLA	244479	496722	231799	85768	116808	85744	116768	77077	98963	3627738	3974	5.2%
11	HAZARIBAGH	343426	508466	292381	135864	168756	135750	168621	117966	139531	5123605	3286	2.8%
12	JAMTARA	227230	346392	190006	109916	138408	109899	138382	99916	121718	4568427	2712	2.7%
13	KHUNTI	138463	235886	128571	51306	70391	51299	70380	40692	50491	1651053	2544	6.3%
14	KODERMA	142238	187307	122472	65049	76158	64993	76093	31851	38774	2082122	947	1.8%
15	LATEHAR	231864	354876	197297	115713	142781	115727	142805	102362	121302	4706689	2004	2.0%
16	LOHARDAGA	96129	226442	90318	41271	69305	41272	69308	36334	53382	1472725	1923	5.3%
17	PAKUR	256978	421462	225224	76053	90252	76028	90219	69044	80547	3129968	2244	3.3%
18	PALAMU	472282	711722	376587	197953	269883	197892	269784	171498	224293	6410540	2741	1.6%
19	RAMGARH	114796	195015	99396	52179	73263	52165	73233	45722	60304	2191611	3912	8.6%
20	RANCHI	423852	863145	376577	118439	167129	118419	167056	103769	133348	4177349	3809	3.7%
21	SAHEBGANJ	330014	425228	266091	112229	128434	112106	128285	96080	107718	3897407	2323	2.4%
22	SARAIKELA KHARSAWAN	214416	396650	214339	97242	141981	97243	141974	84035	114018	3542684	2339	2.8%
23	SIMDEGA	180338	334798	158409	81031	110964	81032	110966	71864	92486	3329180	3864	5.4%
24	WEST SINGHBHUM	401104	735544	389886	127726	160626	127654	160519	99818	117959	4200204	5478	5.5%
	Total	6954952	11361308	6097513	2761396	3577038	2760297	3575414	2400821	2961929	104238834	71302	3.0%